



**प्रेस विज्ञप्ति**

**06.04.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें पुणे स्थित **वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज** और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक **विनोद खुटे** के परिवार के विभिन्न सदस्यों की 8.98 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति 366.92 वर्ग मीटर के पांच आवासीय फ्लैट, पुणे में स्थित 139.39 वर्ग मीटर के दो बहुउद्देशीय हॉल, 366.92 वर्ग मीटर के दो कार्यालय स्थान, सभी पुणे में स्थित और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 2 हेक्टेयर के एक भूमि पार्सल के रूप में हैं।

ईडी ने आम लोगों को धोखा देने के आरोप में विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बड़ाडे और अज्ञात अन्य के खिलाफ उच्च रिटर्न के बहाने पॉजी स्कीम और विदेशी मुद्रा व्यापार में आम लोगों को लुभाने के लिए एक आपराधिक साजिश रचने और उससे कई फर्जी फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की है।

ईडी की जाँच से पता चला कि विनोद खुटे, जो फरार है और यह संदेह है कि वह वर्तमान में दुबई में रह रहा है, दुबई स्थित फर्म मेसर्स काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं, विदेशी मुद्रा व्यापार का मास्टरमाइंड है। जाँच से पता चला है कि विनोद खुटे ने अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अन्य कंपनियों के साथ ही मेसर्स वीआईपीएसट्रेड्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स वीटीएफपीएल), मेसर्स काना कैपिटल्स लिमिटेड, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (जीएबी), वीआईपीएस सिक्योरिटीज, और वीआईपीएस प्रॉपर्टीज, मेसर्स वीआईपीएस वॉलेट प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियों की स्थापना की। इसके अलावा, लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए निवेशकों से धन एकत्र किया गया और शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया। इसके बाद, नियामक जाँच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकॉरेंसी के बदले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई में धनराशि स्थानांतरित की गई। अपराध की आय (अब तक की जाँच के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि) का उपयोग विनोद खुटे ने अपने व्यक्तिगत उपयोग, अपनी कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों को निपटाने, दुबई के साथ-साथ भारत में संपत्तियों को अर्जित करने आदि के लिए किया है।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीएओ जारी किया था, जिसमें वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस के मालिक विनोद खुटे की दुबई में स्थित



37.50 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 24.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई थी। इस मामले में अब तक कुल कुर्की की मूल्य राशि रुपये 70.89 करोड़ है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।